

AMENDED MES GUIDELINES FOR PRIVATE ITCs

प्रेषक

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

सेवा मे

1. आर्मी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बाला कैंट।
2. एम.एम.एस.डी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बाला कैंट।
3. एस. आर. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार रोड, गांव बलाना, जिला अम्बाला।
4. नैशनल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नसीरपुर, नजदीक जैन वाटिका व बी. एंड कालेज, अम्बाला शहर।
5. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, चरखीदादरी, भिवानी।
6. शिव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भिवानी रोड, तोशाम, जिला भिवानी।
7. आदर्श मैडीकल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोहारू रोड, उत्तम नगर, भिवानी।
8. नैशनल मार्डन महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।
9. एस.ओ.एस. हैलमेट कुटीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद।
10. डिफेंस औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भूना रोड, टोहाना, जिला फतेहाबाद।
11. अपैक्स टैक्नीकल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव बढई खेडा, तह0 टोहाना, जिला फतेहाबाद।
12. बाबू जगजीवनराम औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, निजाम वाली कोठी, हैली मण्डी रोड, पटोदी, जिला गुडगांव।
13. रिलायंस हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव चन्दु, डा0 बुधेडा, जिला गुडगांव।
14. श्रीराम औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मेन बरवाला रोड, नजदीक पट्रोल पम्प, हांसी, जिला हिसार।
15. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार।
16. सुमित धारीवाल मैमो0 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एन.एच.-65 कि0मी0 स्टोन, नजदीक पंचमुखी मन्दिर, गांव चौधरीवास, जिला हिसार।
17. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, झज्जर।
18. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जीन्द।
19. सी. आर. किसान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जीन्द।
20. आर्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डाक खाना, ललित खेडा, जिला जीन्द।
21. एम.आर. अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कैथल।
22. लेडीज इन्डस्ट्रीयल होम सेवा समिति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मन्दिर मार्ग, नजदीक पोस्ट हैड पोस्ट आफिस, करनाल।
23. वांडर वैली औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डाक खाना बडागांव, जिला करनाल।
24. श्रद्धानन्द अनाथालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कर्णताल, सदर बाजार, करनाल।
25. चौ0 रिसाल सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव भादसों, जिला करनाल।
26. भारत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डा0 सिधपुर, जिला करनाल।
27. गुरु ब्रहमानन्द आई.टी.सी. डा0 अरझाहेडी, गांव रायेपुर रोडान, जिला करनाल।
28. सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, केडीवी (वीआईपी) रोड, नजदीक सुन्दरपुर रेलवे फाटक, (अरोडा पट्रोल पम्प), कुरुक्षेत्र।
29. श्री जयराम गर्ल्ज औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव लोहार माजरा, डा0 कमांडा, जिला कुरुक्षेत्र।
30. अचीवर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव अटेली मण्डी, जिला महेन्द्रगढ़।
31. न्यू प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव आदलपुर, डा0 अकोडा, नजदीक जाट बस स्टैंड, जिला महेन्द्रगढ़।
32. श्रीगणेश औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गणेश कालोनी, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़।
33. जी एण्ड जी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, मेन बाजार, रायपुररानी, जिला पंचकुला।
34. मदनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव रेहना, डा0 रायपुररानी, जिला पंचकुला।
35. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सैक्टर-12, पंचकुला।
36. बाबा मुक्तेश्वरपुरी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव कान्हडवास, तह0 कोसली, जिला रिवाड़ी।

37. सैन्टरल पब्लिक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोसली जिला रिवाडी ।
38. लार्ड कृष्णा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव डूंगरवास, कोसली, जिला रिवाडी ।
39. एस.एस. मैमो0 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नाहड़ रोड, रेलवे स्टेशन, गांव कोसली, जिला रिवाडी ।
40. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रिवाडी ।
41. श्रीराम औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव मोहम्मदपुर, डा0 नईचाना, तह0 बावल, जिला रिवाडी ।
42. बाबा एस.आर.ए. पैरा-मैडीकल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जीन्द बाई पास चौक, रोहतक ।
43. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक ।
44. विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, काणठ मण्डी, रोहतक ।
45. तारा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाठोत रोड, रोहतक ।
46. समाज कल्याण सभा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोहाना, जिला सोनीपत ।
47. बाबा शिवा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डा0 गुढा, तह0 गोहाना, जिला सोनीपत ।
48. श्री शम्भू दयाल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोहाना रोड, सोनीपत ।
49. कस्तूरबा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रादौर, जिला यमुनानगर ।
50. भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, 37, आत्म नगर, बिलासपुर रोड, जगाधरी, जिला यमुनानगर ।
51. महात्मा गांधी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डा0 बम्बोली, तह0 जगाधरी, जिला यमुनानगर ।
52. मास इन्फोटेक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रंजीत गार्डन, नजदीक शिवालिक स्कूल, जगाधरी वर्कशाप, यमुनानगर ।
53. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बाला रोड, नजदीक रक्षक विहार, जगाधरी, जिला यमुनानगर ।
54. सैनिक परिवार भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, छछरोली, जिला यमुनानगर ।
55. शिवालिक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव पंजेटो, तह0 छछरोली, जिला यमुनानगर ।
56. वैब सर्विसिज औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, 14, बाई पास चौक, जगाधरी रोड, यमुनानगर ।
57. वूमैन लीग गर्ल्ज औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नेहरू पार्क, माडल टाउन, यमुनानगर ।
58. यमुना औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, सामने गुप्ता बैन्कयूट हाल, महाराजा अग्रसेन चौक, ओल्ड कोर्ट रोड, जगाधरी, जिला यमुनानगर ।
59. महाराणा प्रताप औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गांव व डा0 नागल, तह0 जगाधरी, जिला यमुनानगर ।
60. कलसिया आई.टी.सी. नजदीक अनाज मण्डी, दादुपुर रोड, गांव छछरौली, जिला यमुनानगर ।

यादी क्रमांक: T-2/STT /2007/ MES

दिनांक:- 2.9.08

विषय :- Skill Development Initiatives (SDI) स्कीम के तहत Modular Employable Skill (MES) courses चलाने बारे –amendements regarding Advance Modules.

....

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक T-2/STT /2007/ MES दिनांक 8.4.08 अनुसार जारी की गई गाईडलाईन्ज के संदर्भ में संशोधित गाईडलाईन्ज निम्नानुसार जारी की जाती हैं-

Objective of the Scheme: Poor and less educated persons can not afford long term training programs due to higher entry qualifications, opportunity cost, lack of incentives etc. Therefore, this new framework for skill development for the informal sector has been evolved by DGE&T.

Target Group :

- i. Early school drop-outs and un-employed.
- ii. Workers seeking skill upgradation.
- iii. Workers seeking certification of skills acquired informally.

विभाग द्वारा इस स्कीम के तहत MES Courses चलाने हेतु इम्प्लीमेंटेशन पोलिसी बनाई गई है। इस पोलिसी अनुसार निम्न मोड्यूलर कोर्सिज़ चलाये जाने हैं:-

1. MES Package
2. MES Modules

1. **MES Modules** : DGE&T द्वारा निर्धारित मोड्यूलज़ में से कोई भी मोड्यूलज़ संस्थान द्वारा चलाये जा सकते हैं। डी0जी0ई0एण्ड टी0 द्वारा प्रत्येक सैक्टर के MES modules को तीन categories में रखा गया है – level-I, level-II & level-III. अधिकतर level-II / level-III MES courses में प्रशिक्षण लेने हेतु छात्र का level-I / level-II का MES courses में पास होना अनिवार्य है।

The latest list of MES modules as prescribed by DGE&T is hereby attached as Annexure- 'A'. However, list of MES modules is also available on DGE&T website which is being updated from time to time by adding new modules.

- a) MES Modules की अवधि DGE&T द्वारा निर्धारित अवधि अनुसार ही होगी जिन्हे part time/weekend basis पर 15 घण्टे प्रति सप्ताह के हिसाब से ITIs द्वारा चलाया जाये।
- b) **Admission Schedule:**
संस्थान हर MES Module की समाप्ति उपरान्त दाखिला अपने स्तर पर करेगा।
- c) **Eligibility Criteria:**

As per eligibility criteria prescribed by DGE&T and given in Annexure 'A'.

2. **MES Package** : विभाग द्वारा डी0जी0ई0एण्ड टी0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित MES Modules में से अलग-अलग मोड्यूलज़ को इकट्ठा करके sector-wise packages बनाए गये हैं जिनका विवरण एवं गाईडलाईन्ज़ अनुपालना हेतु उक्त संदर्भित पत्र अनुसार पहले भेजी जा चुकी हैं।

GENERAL INSTRUCTIONS :-

1. **Part-Time MES Courses** :- केन्द्र को CTS Scheme के अर्न्तगत जिन व्यवसायों को चलाने का NOC जारी किया गया है उनका Infrastructure / Workshop उपलब्ध होने के कारण केवल उन्ही व्यवसायों से सम्बन्धित MES Packages/MES modules केन्द्र में चलाये जायें। उस व्यवसाय से सम्बन्धित MES Courses के दो यूनिट प्रति वर्कशाप (one unit Morning तथा one unit Evening) Part-Time basis पर चलाये जा सकते हैं। दोनो यूनिट MES Package के अथवा दोनो यूनिट MES Modules के अथवा एक यूनिट MES Package तथा एक यूनिट MES Module का चलाया जा सकता है।
2. **Regular Classes**:- केन्द्र को CTS Scheme के अर्न्तगत जिन व्यवसायों को चलाने का NOC जारी किया गया है तथा उनका Infrastructure / Workshop उपलब्ध है परन्तु किसी कारणवश उन व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में दाखिला न हुआ हो तों उस व्यवसाय से related MES Packages के दो यूनिट प्रति वर्कशाप दिन की दो शिफ्टों में regular basis पर चलाये जा सकते हैं।
3. DGE&T द्वारा निर्धारित सलेबस को ही follow किया जाये जोकि DGE&T की website पर उपलब्ध है।
4. MES Modules में दाखिले के लिए **minimum age limit as given in Annexure 'A'** होगी।
5. Batch size 20 Trainees का होगा।

6. Fee Structure: Advanced Modules के लिए फीस निम्न प्रकार से चार्ज की जाएगी ।

- 90 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 500/-रु० प्रति मोड्यूल ।
- 91 से 180 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 1000/-रु० प्रति मोड्यूल ।
- 181 से 270 घण्टे तक की अवधि वाले Modules के लिये 1500/-रु० प्रति मोड्यूल ।
- 270 घण्टे से अधिक अवधि वाले Modules के लिये फीस 2000/-रु० प्रति मोड्यूल होगी (परन्तु यह फीस पूरे MES Package पर लागू नहीं होगी)

MES Package के प्रत्येक module के लिए उपरोक्त आधार पर फीस चार्ज की जाएगी जैसाकि MES Package की संलग्न सूची में दर्शाया गया है (Annexure A) ।

➤ SC/ST category के छात्रों को प्रशिक्षण फीस में 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

8 Assessing Bodies: डी०जी०ई० एंड टी ने MES Courses के छात्रों को assess करने हेतु Assessing Bodies निर्धारित की है । Advanced Modules एवं package में वर्णित सभी मोड्यूल के छात्रों का Testing & Certification (Modulewise) डी०जी०ई०एण्ड०टी भारत सरकार द्वारा निर्धारित assessing bodies as conveyed by DGE&T vide order dated 9.7.08 (सूची संलग्न) से करवाये ताकि छात्रों को राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके ।

9. Testing & Certification/Assessment हेतु Assessing Bodies द्वारा संस्थान के माध्यम से छात्रों से प्रति मोड्यूल 500-800/-रु० अतिरिक्त फीस चार्ज की जायेगी जोकि पासशुदा छात्रों के लिये सम्बन्धित संस्थान को डी०जी०ई०एण्ड०टी द्वारा re-imburse की जायेगी परन्तु इसके लिये सम्बन्धित संस्थान जिनमें MES courses के तहत छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, का Vocational Training Providers (VTP) रजिस्टर होना अनिवार्य है । (Retail, Hospitality and Banking & Accounting Sector के लिए फीस डी०जी०ई०एण्ड०टी द्वारा 500/-रु० निर्धारित की गई है)

10. VTP Registration:- MES Scheme के तहत जिन संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाना है/दिया जा रहा है, उन्हें Vocational Training Providers (VTPs) कहा जाएगा । केवल NVCT affiliated ITCs संलग्न **VTP Registration Form** भरकर निदेशालय के माध्यम से **RDAT Faridabad** से अपने संस्थान को VTP Registered करवा सकते हैं ।

जो छात्र Registered VTP से प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरान्त Assessing Agencies से टेस्ट पास करेगा उस छात्र से चार्ज की गई training फीस एवं Assessing fees संस्थान द्वारा वापिस की जाएगी । इसके बदले में डी०जी०ई०एण्ड०टी द्वारा प्रशिक्षण खर्च @15/-रु० प्रति घण्टा प्रति पासशुदा छात्र तथा Assessing fees registered VTPs को reimburse किया जायेगा

11 Maintenance of Record: सभी संस्थान एम०ई०एस कोर्सिज का Account तथा छात्रों का रिकॉर्ड अलग से maintain करें । वर्ष के अन्त में एक रिपोर्ट जिसमें पूरे वर्ष का कुल revenue, कुल expenditure, Net Annual Saving तथा MES Scheme के तहत कुल जमा राशि का वर्णन हो, निदेशालय को भेजी जाए । पूरे वर्ष का ब्यौरा निम्न प्रकार से वर्णित हो:-

- a) कुल कितने छात्रों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया
- b) कुल कितने छात्र पास हुए
- c) कुल कितनी फीस जमा हुई
- d) कुल कितनी फीस पासशुदा छात्रों को वापिस की गई
- e) कुल कितनी फीस reimbursement द्वारा प्राप्त हुई
- f) कुल Revenue= Total fee collected -Total fee returned + reimbursement received (i.e c - d + e)
- g) कुल expenditure
- h) Net Annual Savings (f-g)
- i) Total Funds available under MES Account

NOTE: दाखिले हेतु सम्बन्धित संस्थान MES कोर्सिज की पूर्ण डिटेल् देते हुए Prospectus/ फार्म अपने स्तर पर डिजाईन करेंगे ।

पृष्ठांकन क्र० T-2/STT /2007/ MES

दिनांक : 2.9.08

उपरोक्त की प्रति निम्न Nodal / Co-ordinating Officer को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने जिले के VTPs को co-ordinate करें तथा उस region की assessing bodies को support करें तथा वह अपने जोन में स्थित ITCs उपरोक्त अनुसार MES courses चलाने की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा इसके अनुसार प्रत्येक ITC कौन-कौन से MES courses चला रहे हैं उसकी सूची निदेशालय पर भेजे ।

1. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, गुडगांव, फरीदाबाद, हिसार, जींद, बहादुर गढ़, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, कैथल, महेन्द्रगढ़, फिरोजपुर झिरका, पानीपत, सोनीपत, रिवाड़ी तथा सिरसा ।
2. वर्ग अनुदेशक इनचार्ज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोडिया खेडा एट फतेहाबाद, कुरक्षेत्र, कालका एट बिटना

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, औ० प्रशि० एवं व्याव० शि०, हरि०

पृ०क्रमांक : T-2/STT /2007/ MES

दिनांक:— 2.9.08

उपरोक्त की प्रति नियन्त्रक परीक्षा अधिकारी (मुख्यालय पर) को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक

कृते: निदेशक, औ० प्रशि० एवं व्याव० शि०, हरि०